लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 409

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

डिज़ाइन पहल को बढ़ावा देना

409. श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में हस्तकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के संवर्धन और विकास के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का राज्यवार, विशेष रूप से तमिलनाडु के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत कच्चे माल की आपूर्ति, उन्नत करघों/उपकरण किट, विपणन, सामाजिक सुरक्षा और अवसंरचना विकास के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय और तकनीकी सहायता की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, तमिलनाडु सहित राज्यों को जारी/स्वीकृत की गई कुल निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत हस्तकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को प्रदान किए गए विशिष्ट लाभ और सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने डिज़ाइन नवाचार और विपणन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित देश में डिज़ाइन संसाधन केंद्रों (डीआरसी) की संख्या और स्थान का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में, हस्तकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को सशक्त करने हेतु कोई नई नीति प्रस्तावित कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के संवर्धन और उनके विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
3. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम;
4. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, उन्नत करघे, सहायक उपकरण और टूलकिट, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को लाभ मिलता है।

इन क्षेत्रों में वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। संबंधित योजनाओं के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्र हथकरघा/हस्तशिल्प एजेंसियों को विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए निधियां जारी की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों की इन योजनाओं के तहत जारी निधियों का ब्यौरा विवरण इस प्रकार है:

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	**जारी निधियां**
2022-23	428.60
2023-24	465.85
2024-25	486.35

(ङ): हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में लुप्तप्राय (लिंग्विसिंग) हथकरघा शिल्पों (क्राफ्ट्स) का पुनरुद्धार और दस्तावेजीकरण, नए फाइबर/प्राकृतिक रंगों/जैविक कपास के उपयोग पर प्रयोग/अनुसंधान, डब्ल्यूएससी में मौजूदा/विकसित डिजाइनों का दस्तावेजीकरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को संरक्षित और हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए देश भर के 16 बुनकर सेवा केंद्रों में डिजाइन संसाधन केंद्र (डीआरसी) स्थापित किए गए हैं जिनमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, मेरठ, नागपुर, इंदौर, पानीपत, हैदराबाद, बेंगलुरु, कांचीपुरम और चेन्नई (तमिलनाडु में 2 डीआरसी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र में मार्केटिंग संबंधों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में हथकरघा मार्केटिंग सहायता (एचएमए) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

(च): हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ग्रामीण, जनजातीय (ट्राइबल) क्षेत्रों और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों सहित पूरे देश में उपरोक्त योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

*****